



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

सं० NBE/Estt./21069/CM-Add1/2020

दिनांक: 02.06.2023

परिपत्र

विषय: एनबीईएमएस में जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय है, जो आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च मानकों और राष्ट्रीय स्तर पर संबद्ध विशिष्टताओं के स्नातकोत्तर की परीक्षा आयोजित करता है।

एनबीईएमएस, एनबीईएमएस में जांच करने के उद्देश्य से जांच अधिकारी (आईओ) की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार में निदेशक अथवा उससे उच्च पद पर के या राज्य सरकार/पीएसयू में समकक्ष रैंक के पात्र और इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है।

सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप **(अनुबंध-ए)** में विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र **इस परिपत्र के जारी होने के 21 दिनों के अंदर अर्थात् 23 जून, 2023 तक** पहुँच जाना चाहिए: -

*"अपर निदेशक (प्रशासन),
आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, एनएएमएस बिल्डिंग,
अंसारी नगर, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110029"*

जांच अधिकारी (आईओ) की नियुक्ति हेतु नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं: -

- (1) सेवानिवृत्त अधिकारी जो केंद्र सरकार के निदेशक के पद या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष अधिकारी से नीचे के पद से सेवानिवृत्त ना हो, एनबीईएमएस में जांच करने के उद्देश्य से जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता (सेवानिवृत्ति के समय की रैंक और वेतन स्तर का प्रमाण), आयु, पहचान पत्र, पता प्रमाण आदि के लिए स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।
- (2) संयुक्त सचिव (या समकक्ष) अथवा उससे उच्च पद पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को जांच अधिकारी (आईओ) के रूप में नियुक्ति हेतु वरीयता दी जाएगी।
- (3) जांच अधिकारियों (आईओ) के रूप में सेवा करने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (4) जांच अधिकारियों (आईओ) को एनबीईएमएस में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (5) नामित जांच अधिकारी को निम्नानुसार एक वचनबंध (अंडरटेकिंग) देना होगा
 - i. कि वह जांच किए जाने वाले मामले में गवाह या शिकायतकर्ता नहीं है या दोषी सरकारी अधिकारी का करीबी रिश्तेदार या परिचित मित्र नहीं है।
 - ii. कि वह पूछताछ के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों या उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए गए डेटा/सूचनाओं के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे और उन्हें सौंपे गए मामले में केवल जांच के उद्देश्य हेतु उसका उपयोग करेंगे।
- (6) बर्खास्त/ पदच्युत अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच लंबित है, वे जांच अधिकारी के रूप में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- (7) पूछताछ के दौरान या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसा कोई दस्तावेज/सूचना या डेटा किसी को नहीं बताया जाएगा। जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट आदि को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात उस अधिकारी को विधिवत रूप से वापस कर दिया जाएगा जिसने उसे इस पद पर नियुक्त किया था।
- (8) जांच अधिकारी रिकॉर्ड की उपलब्धता, स्टेशन/स्थान जहां कदाचार हुआ, साथ ही गवाह/पीओ आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक स्थान पर जांच की कार्यवाही करेगा। आईओ/पीओ/सीओ द्वारा की जाने वाली यात्रा को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकतम संभव उपयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एनबीईएमएस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- (9) जांच अधिकारी एनबीईएमएस द्वारा नामित प्राधिकारी के अनुमोदन से (अपरिहार्य परिस्थितियों में) जांच करने के लिए यात्रा करेगा।
- (10) जांच अधिकारी, जांच अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तिथि से 180 दिनों के अंदर जांच पूरी कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हालांकि, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में एनबीईएमएस प्राधिकरण द्वारा 180 दिनों से अधिक समय का विस्तार दिया जा सकता है।
- (11) जांच अधिकारी को देय मानदेय की दर डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 142/40/2015-AVD.I दिनांक 16.11.2022 के अनुसार शासित होगी।
- (12) एनबीईएमएस, किसी भी वैध आधार जैसे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, पक्षपात या बदले की भावना आदि पर जांच अधिकारी की नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि जांच पूरी होने से पहले आईओ की सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो मानदेय की मात्रा एनबीईएमएस द्वारा डीओपीटी/एनबीईएमएस नियमों के आधार पर तय की जाएगी।

- (13) एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
- (14) यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल आवेदन पत्र जमा करने से आवेदक को एनबीईएमएस में आईओ के रूप में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
- (15) आवेदकों को आवेदन और प्रमाणित प्रतियां / टेस्टीमोनियल जमा करते समय कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो झूठा, छेड़छाड़ किया हुआ, मनगढ़ंत हो अथवा किसी भी भौतिक जानकारी को छुपाता हो।
- (16) जो आवेदन इस विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा नहीं करते/अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (17) हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।



एनबीईएमएस

प्रोफार्मा

1.	अधिकारी का नाम		
2.	सेवा जिससे अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ है		
3.	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित अंतिम पद		
4.	7 वें सीपीसी के अनुसार आहरित अंतिम वेतन का मूल वेतन		
5.	7 वें सीपीसी के अनुसार आहरित अंतिम वेतन का वेतन स्तर		
6.	सचिव/एएस/जेएस/निदेशक के रूप में नियुक्ति की तिथि		
7.	केंद्र में समकक्ष पद (सचिव / एएस / जेएस / निदेशक)		
8.	जन्म तिथि		
9.	सेवानिवृत्ति की तारीख		
10.	स्थायी पता		
11.	वर्तमान (संचार) पता		
12.	मोबाइल नंबर		
13.	ईमेल		
14.	विभाग का विवरण जहां से अधिकारी सेवानिवृत्त है, (संपर्क विवरण)		
15.	a. नाम :		
	b. पूरा पता :		
	c. संपर्क संख्या :		
	d. ईमेल आईडी :		
16.	अनुशासनात्मक/सतर्कता मामलों को संभालने के संबंध में अनुभव का विवरण, यदि कोई हो		
	राज्य सरकार/ मंत्रालय/ विभाग का नाम	अवधि जिसके दौरान अनुशासनात्मक मामलों को संभाला	धारित पद कार्य का विवरण

17.	आईओ/पीओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम का विवरण, यदि कोई भाग लिया हो	
18.	क्या आपको कभी आईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है ?	
(क)	यदि हां, तो जांच का विवरण (विभाग का नाम / जांच पूरी होने की समय अवधि आदि)	
19.	उन मामलों की संख्या जिनमें वर्तमान में आईओ के रूप में आपको नियुक्त किया गया है ?	
(क)	प्रत्येक मामले का विवरण (मंत्रालय /विभाग का नाम, आईओ के रूप में नियुक्ति की तारीख)	
20.	क्या आप सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं या एफआर 56 के तहत वीआरएस लेने के बाद ?	
21.	क्या सेवा अवधि के दौरान कोई दंड मिला है ?	
22.	यदि हां, तो उसका विवरण दें	

नोट: अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होने पर कृपया एक अलग पत्रक संलग्न करें।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम

कथन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं समझता हूँ कि उपरोक्त तथ्यों के गलत पाए जाने की स्थिति में मैं प्रासंगिक पेंशन नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हूँ।

हस्ताक्षर

नाम



NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES NEW DELHI

No. NBE/Estt./21069/CM-Add1/2020

Date : 02.06.2023

CIRCULAR

Sub: Inviting applications for appointment as Inquiry Officer in NBEMS-reg.

The National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) is an Autonomous Body under the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, established to conduct Post-Graduate Examinations of high standards in the field of Modern Medicines at the National Level.

NBEMS invites applications in the prescribed format from eligible and willing retired officers of the rank of Director and above in the Central Government or equivalent officers in State Government/PSUs for their appointment as Inquiry Officer (IO) for the purpose of conducting inquiry in NBEMS.

The duly filled application form in the prescribed format (**Annexure-A**) along with Self-Attested copies of supporting documents should reach: -

*“The Additional Director (Admin),
National Board of Examinations in Medical Sciences, NAMS Building,
Ansari Nagar, Mahatma Gandhi Marg, New Delhi – 110029.”*

Within 21 days of issue of this Circular i.e. on or before 23rd June, 2023.

Terms and Conditions for Appointment of Inquiry Officer (IO) are as under:-

- (1) The retired officers who retired from the post not below the rank of Director in the Central Government or equivalent officers in the State Governments or Public Sector Undertakings are eligible to apply for appointment as Inquiry Officer for the purpose of conducting Inquiry in NBEMS. Self-Attested supporting documents for eligibility (proof of rank and pay level at the time of retirement), Age, Identity Card, Address Proof etc. should be enclosed with the application.
- (2) Preference for appointment as Inquiry Officer (IO) will be given to the officers retired at the level of Joint Secretary (or equivalent) and above.
- (3) The retired officers willing to serve as the Inquiry officers (IO) should not be more than 70 years of age as on the last date of receipt of application.

- (4) The Inquiry Officers (IO) shall be appointed by the Competent Disciplinary Authority in NBEMS.
- (5) The designated Inquiry Officer shall be required to give an undertaking as follows: -
 - i. That he/she is not a witness or a complainant in the matter to be inquired into or a close relative or a known friend of the delinquent Government officer.
 - ii. That he/she shall maintain strict secrecy in relation to documents he/she receives or data/information collected by him/her, both directly or indirectly, in connection with the inquiry and utilize the same only for the purpose of inquiry in the case entrusted to him/her.
- (6) The terminated/dismissed officers or retired officers against whom disciplinary inquiry is pending shall not be eligible to apply as Inquiry Officer.
- (7) No such document/information or data shall be divulged to anyone during the Inquiry or after submission of the Inquiry Report. All the records, reports etc. available with the Inquiry Officer shall be duly returned to the authority which appointed him/her as such, at the time of submission of the Inquiry Report.
- (8) The Inquiry Officer shall conduct the inquiry proceeding at a location taking into account the availability of records, station/place where the misconduct occurred as well as the convenience of the witness/PO etc. Video Conferencing should be utilized to the maximum extent possible to minimize travel undertaken by the IO/PO/CO. NBEMS will facilitate necessary arrangements for the Video Conferencing, if required.
- (9) The Inquiry officer shall undertake travel for conducting inquiry (in unavoidable circumstances) with the approval of an authority as may be nominated by NBEMS.
- (10) The Inquiry Officer shall submit the inquiry report after completing the inquiry within 180 days from the date of his/her appointment as Inquiry Officer. However, extension of time beyond 180 days can be granted by the NBEMS Authority, only in unavoidable circumstances.
- (11) The rate of honorarium payable to the Inquiry Officer shall be governed as per the DoPT Office Memorandum No. 142/40/2015-AVD.I dated 16.11.2022.

- (12) NBEMS reserves its right to terminate the appointment of an Inquiry Officer on any valid ground e.g. violation of the principles of natural justice, bias or vindictiveness etc. In case IO is terminated before the completion of the inquiry, the quantum of honorarium shall be decided by the NBEMS based on DoPT/NBEMS rules.
- (13)The decision of NBEMS will be final and binding, and no correspondence in this regard will be entertained.
- (14)It is clarified that mere submission of application form does not confer any right to the applicant for appointment as IO in NBEMS.
- (15)Applicants should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or suppress any material information while submitting the application and certified copies /testimonials.
- (16)Applications which do not meet all the criteria given in this advertisement / incomplete application will be rejected.
- (17) In case of ambiguity between Hindi and English versions, the English version will prevail.



NBEMS

ANNEXURE – A**PROFORMA**

1.	Name of the Officer			
2.	Service from which the officer has retired			
3.	Last post held before retirement			
4.	Basic Pay of last pay drawn as per 7 th CPC			
5.	Pay level of last pay drawn as per 7 th CPC			
6.	Date of appointment as Secretary / AS / JS / Director			
7.	Equivalent post in Centre (Secretary / AS / JS / Director)			
8.	Date of birth			
9.	Date of retirement			
10.	Permanent address			
11.	Present (Communication) address			
12.	Mobile No.			
13.	Email address			
14.	Details of State Government / Ministry / Department from which the officer is retired (Contact details)			
15.	a. Name:			
	b. Complete Address:			
	c. Contact No.:			
	d. Email ID:			
16.	Details of experience regarding handling disciplinary/vigilance matters, if any			
	Name of State Government / Ministry / Department	Duration during which handled disciplinary matters	Post held	Nature of work

Contd...

17.	Details of training programme / course, if any attended, for IO / PO	
18.	Have you ever been assigned the responsibility of IO ?	
(a)	If yes, Details of Inquiry (Name of Department / time period of completion of inquiry etc.)	
19.	No. of cases in which presently appointed as IO	
(a)	Details of each case (name of Ministry / Department, date of appointment as IO)	
20.	Whether retired on attaining the age of superannuation / VRS under FR 56	
21.	Whether any penalty imposed during the service period	
22.	If yes, give the details thereof	

Note: If additional space is required, please attach a separate sheet.

Place:

Signature: _____

Date:

Name: _____

Statement

I certify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief and I understand that I subject myself to disciplinary action under relevant pension rules in the event that the above facts are found to be falsified.

Signature: _____

Name: _____